उपाबंध –I

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

....

विधि के क्षेत्र में हिन्दी में वर्ष 2017 के दौरान मूल रूप से हिन्दी में लिखित/प्रकाशित विधि (कानून) की उत्कृष्ट पुस्तकों पर पुरस्कार के लिए आमंत्रण ।

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रत्येक वर्ष विधि की मूल रूप से हिन्दी भाषा में लिखी गई या प्रकाशित उत्कृष्ट पुस्तकों पर (मैनुअल और रैफ्रेंसर को छोड़कर) पुरस्कार दिए जाते हैं । पुरस्कार योजना के अनुसार प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा निर्धारित विधि की पांच शाखाओं में से प्रत्येक में 50 हजार रूपए का प्रथम पुरस्कार, 30 हजार रूपए का द्वितीय पुरस्कार तथा 20 हजार रूपए का तृतीय पुरस्कार अर्थात् कुल मिलाकर इन पुस्तकों पर पांच लाख तक के पुरस्कार दिए जा सकते हैं । वर्ष 2017 में हिन्दी भाषा में लिखी गई (अनुदित नहीं) विधि पुस्तकों की पांडुलिपियां या प्रकाशित पुस्तकें (जिनमें वाद-सूची, ग्रंथ सूची आदि हों) आमंत्रित की जाती हैं । प्रकाशित पुस्तकों की दशा में छह प्रतियां तथा पांडुलिपि की दशा में तीन टंकित प्रतियां विहित प्रवेश पत्र सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 31 जुलाई, 2018 तक अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए । अन्तिम तारीख के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा । विहित प्रवेश पत्र को वेबसाइट www.lawmin.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

कृपया अतिरिक्त जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर संपर्क करें :

प्रधान संपादक/संपादक (पुस्तक एकक),
विधि साहित्य प्रकाशन (विधायी विभाग),
विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास रोड, नई दिल्ली 110001
टेलीफोन नं. 011- 23387589, 23383248, 23389001
फैक्स 011- 23387589